

NPCI ने UPI ऐप्स के लिये मार्केट कैप की समयसीमा बढ़ाई

स्रोत: लाइव मटि

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI) ने थर्ड-पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स (TPAP) के लिये UPI ट्रांजेक्शन पर 30% ट्रांजेक्शन कैप का अनुपालन करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2026 तक बढ़ा दी है।

- यह नरिणय फोनपे और गूगलपे जैसे प्रमुख TPAP को प्रभावित करता है, जिसके द्वारा सामूहिक रूप से 80% से अधिक का UPI ट्रांजेक्शन होता है।
 - 30% की सीमा का अनुपालन करने के लिये, सीमा से अधिक वाले TPAP को नवीन ग्राहकों को शामिल करना बंद करना होगा।
- पृष्ठभूमि: नवंबर 2020 में, NPCI ने एकाग्रता जोखिमों को कम करने और एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिये प्रत्येक TPAP UPI ट्रांजेक्शन की मात्रा पर 30% की सीमा पेश की। हालाँकि यह समय सीमा दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी।
 - यह सीमा वगित तीन माह के औसत UPI ट्रांजेक्शन की मात्रा पर आधारित है, तथा मौजूदा TPAP द्वारा सीमा पार कर लेने के बाद, उन्हें चरणबद्ध तरीके से अनुपालन करने के लिये दो वर्ष का समय दिया गया है।
- NPCI: इसकी स्थापना RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा भुगतान और नपिटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- TPAP: ये वह संस्थाएँ हैं जो मोबाइल ऐप या प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI-आधारित वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जो उपयोगकर्ताओं और बैंकों (प्रायोजक बैंक के रूप में संदर्भित) के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं।
 - TPAP बैंकों या वित्तीय संस्थाओं का हिस्सा नहीं हैं।

और पढ़ें...

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/npci-extends-market-cap-deadline-for-upi-apps>